प्रेस विज्ञप्ति
09-05-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कपटपूर्ण ऑनलाइन आय एवं निवेश योजना के माध्यम से निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी किए जाने से संबंधित "ग्लोबल मीडिया ऐप" धोखाधड़ी प्रकरण में चल रही जांच के संबंध में 1.06 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने "ग्लोबल मीडिया ऐप" नामक मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से धोखाधड़ी किए जाने संबंधी शिकायत पर मदनराइटिंग पुलिस थाना, जिला- पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से उजागर हुआ कि आरोपित व्यक्तियों द्वारा "ग्लोबल मीडिया ऐप" का संचालन एक ऑनलाइन विज्ञापन मंच की आड़ में पोंजी शैली की निवेश योजना के रूप में किया जा रहा था, जिसमें उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन वीडियो देखने के बदले प्रतिदिन निष्क्रिय आय का प्रलोभन दिया जाता था। उपयोगकर्ताओं को उच्च दैनिक प्रतिफल एवं रेफरल कमीशन का आश्वासन देकर भारी धनराशि का भुगतान कर विभिन्न वीआईपी सदस्यता योजनाओं में उन्नयन हेतु प्रेरित किया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत जांच के दौरान यह उजागर हुआ कि धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा विदेशी मोबाइल नंबरों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रशासित टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उक्त अनुप्रयोग का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया तथा भोले-भाले निवेशकों से बैंक अंतरण, यूपीआई लेन-देन एवं क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से धनराशि एकत्रित की गई। यह योजना 03.06.2022 से 12.10.2022 तक संचालित रही, जिसके पश्चात आरोपित व्यक्तियों ने अचानक उक्त अनुप्रयोग को बंद कर दिया तथा संकलित धनराशि लेकर फरार हो गए।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह स्थापित हुआ है कि उक्त कपटपूर्ण योजना के माध्यम से लगभग 45.33 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की गई। जांच के दौरान अपराध से अर्जित आय के संग्रहण एवं परतदार लेन-देन हेतु प्रयुक्त अनेक बैंक खातों, मर्चेंट आईडी, भुगतान गेटवे खातों तथा क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट की पहचान की गई।

आगे यह भी उजागर हुआ कि कपटपूर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से एकत्रित धनराशि को विभिन्न स्तरों वाले बैंक खातों तथा भुगतान गेटवे में पंजीकृत म्यूल प्रकृति की मर्चेंट संस्थाओं के माध्यम से प्रवाहित किया गया। जांच से टीआरओएन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर संचालित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेटों के उपयोग का भी पता चला, जिनका प्रयोग यूएसडीटी टोकनों के संग्रहण एवं अंतरण हेतु किया गया।

जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विभिन्न बैंकों, भुगतान गेटवे, गूगल, टेलीग्राम तथा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से पूछताछ की गई। वित्तीय लेन-देन एवं ब्लॉकचेन अंतरणों के विश्लेषण से

विभिन्न बैंक खातों में वर्तमान में उपलब्ध अपराध से अर्जित आय की पहचान की गई, जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

जांच से यह भी स्थापित हुआ है कि "ग्लोबल मीडिया ऐप" धोखाधड़ी प्रकरण अंतरराष्ट्रीय आयाम तक विस्तृत है। जिस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उक्त अनुप्रयोग का प्रचार-प्रसार किया गया, उसका संचालन चार व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था, जिनके मोबाइल नंबर कंबोडिया (+855) एवं मलेशिया (+60) में पंजीकृत थे। साथ ही, अनुप्रयोग के बैक-एंड संचालन हेतु प्रयुक्त जीमेल खाते भी "टर्म्स ऑफ सर्विस कंट्री: कंबोडिया" के साथ पंजीकृत पाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना का परिचालन नियंत्रण संपूर्ण संचालन अवधि के दौरान भारत के बाहर स्थित था। अपराध से अर्जित आय का एक महत्वपूर्ण भाग, जो लगभग 2.45 करोड़ रुपये के समतुल्य है, पीड़ितों से सीधे यूएसडीटी (टेदर) टोकनों के रूप में टीआरओएन ब्लॉकचेन के माध्यम से एकत्रित किया गया तथा तत्पश्चात एक विदेशी अधिवासित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर स्थित उपयोगकर्ता खातों में अग्रेषित किया गया। उक्त एक्सचेंज पर तत्काल अंतिम प्राप्तकर्ताओं के केवाईसी विवरण प्राप्त कर लिए गए हैं तथा धनराशि के आगे के प्रवाह का पता लगाया जा रहा है।

आगे की जांच जारी है।